प्रेस नोट: दिनांक 08.09.2026

थाना - अलापुर, बदायूँ।

▪ *थाना अलापुर क्षेत्रान्तर्गत गौकशी की घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ।*

▪ *अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व कारतूस तथा गौकशी उपकरण बरामद।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के आदेशानुसार अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व में थाना अलापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.09.2026 को थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-191/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तनहीर पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गौरामई थाना अलापुर जनपद बदायूँ को मय एक अदद तंमचा 315 बोर, 03 अदद खोखा 315 बोर , 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर ,एक अदद छुरी एक अदद रस्सी के पुलिस मुठभेड़ में मौके से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना अलापुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण— थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभियुक्त तनहीर पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गौरामई थाना अलापुर जनपद बदायूँ व उसके साथी की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया गया।

कार्यवाही—

घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूँ के निर्देशन में थाना अलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी पतारसी व साक्ष्यों एकत्रित करते हुए सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। दिनांक 08.09.2026 को थाना अलापुर पर मुखविर खास द्वारा सूचना दी गयी कि एक शातिर गौकश बदमाश ककराला उसहैत रोड पर भट्टे से 250 मीटर आगे आज फिर कही दूसरी गौकशी की घटना को अंजाम देने के लिए खडा है। प्राप्त सूचना थाना अलापुर पुलिस द्वारा मौके पर पुहंचकर बदमाश को घेर लिया गया गौकश बदमाश द्वारा घिरते देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से 03 राउण्ड फायर किये जिसमें हे0का0 518 शिववीर के दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा जबाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में गौकश बदमाश को दोनो पैरो मे गोली लगी जिससे वह घायल हो गया नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम तनहीर पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गौरामई थाना अलापुर जनपद बदायूँ बताया। अभियुक्त तनहीर उपरोक्त थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में वांछित है।*दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुए अभियुक्त तथा हे0का0 शिववीर उपरोक्त को प्राथमिक उपचार हेतु

जिला अस्पताल, बदायूँ में भर्ती कराया गया है।* बाद उपचार विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ विवरण— अभियुक्त तनहीर ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 07.09.2026 की रात्रि में मैने और मेरे साथी जुम्मन व मेरे भाई ने ग्राम गौरामई थाना अलापुर बदायूँ के जंगलो से घूमंतु गौवंशीय (बछड़ा) को पकड़ कर गौकशी की घटना को अंजाम दिया था।

नाम पता अभियुक्त -

1. अभियुक्त तनहीर पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गौरामई थाना अलापुर जनपद बदायूँ।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-191/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना अलापुर बदायूँ।

2. मु0अ0सं0-163/2013 धारा 379/411 आईपीसी थाना उसहैत जनपद बदायूँ

3. मु0अ0सं0- 479/2013 धारा 379/411 आईपीसी थाना उसहैत जनपद बदायूँ

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद तंमचा 315 बोर

2. 03 अदद खोखा 315 बोर

3. 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

4. एक अदद छुरा, एक अदद रस्सी

*बरामदगी व गिरफ्तारी पुलिस टीम**

थानाध्यक्ष श्री सनी चौधरी थाना अलापुर जनपद बदायूँ मय पुलिस टीम।

सोशल मीडिया सेल, बदायूँ*